(c) whether there is any proposal to bring the ancillary industry under the priority sector; and

(d) if so, what are the details thereof; and if not, what are the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO & RURAL INDUSTRIES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN) : (a) Government is already extending various concessions to the small scale sector in terms of excise exemption, income-tax benefits, priority sector lending and other incentives, benefits and concessions in areas of marketing, technical services and other support services.

(b) Yes, Sir. Government have received some representations for enhancement in the existing level of investment in plant and machinery for small scale industries. The limits in terms of investment in plant & machinery for small scale and ancillary industrial undertakings were revised on 2-4-1991. Hence, there is no proposal at present to increase the existing level of investment limits for small scale and ancillary industrial undertakings.

(c) and (d) The Ancillary Industrial Undertakings are already covered under the classification of priority sector for credit lending purposes. As per the existing Reserve Bank of India directions, small scale industries with investment in plant & machinery not exceeding Rs. 35 lacs and ancillary industrial undertakings with investment in plant & machinery not exceeding Rs. 45 lacs are covered under priority sector lending by Scheduled Banks.

Indian Tractors

1713. SHRI SURESH KALMADI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian tractors have not been commented upon favourably in the global markket in terms of finish;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps Government propose to take to meet the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Govt. is not aware of any adverse comment in terms of finish of Indian tractors in the global market.

(b) and (c) Do not arise.

Decreasing sales of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

1714. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sales of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi are decreasing;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the prices of Khadi have been increased causing decline in the sales of Khadi in quantity as well as in amount; and

(d) whether Government propose to enquire into the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO & RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN) : (a) Total sales of Khadi and Village Industries articles in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi are increasing from year to year as can be seen from the following figures :

(Rs. in Lakhs)

Year	Total Sales
1989-90	953.07
1990-91	1073.28
991-92	1337.04 (Provisional)

(b) In view of the reply to 'a' above this does not arise.

(c) The prices of Khadi have increased due to increase in the cost of raw material, labour and transportation charges etc. However, there is no adverse effect on sales of Khadi.

(d) In view of the reply to 'c' above this does not arise.

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से श्रमिकों को बकाया राशियों का भुगतान

1715. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन बी० आई० एफ० आर०/ए० ए० आई० एफ० आर० के परिसमापन संबंधी मत के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापक की नियुक्ति की कार्यवाही में होने वाले विलंब को देखते हुए श्रमिकों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से उनके देय अवशेषों के बराबर राशि उपलब्ध कराने एवं बाद में परिसमापक से उक्त राशि वापस प्राप्त करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है,

(ख) यदि नहीं, तो परिसमापक की नियुक्ति में विलंब को मद्दे नजर रखते हुए सरकार श्रमिकों के हित में क्या कदम उठाने का विचार रखती है, और

(ग) क्या यह आवश्यक नहीं है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में परिसमापक की नियुक्ति के उपबंधों को शामिल करके इसमें संशोधन कर दिया जाए ताकि एक ही समय पर निपटारा हो जाए जिससे श्रमिकों को शीघ्र भुगतान हो सके ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सैक्टर) के संबंध में नीति

1716. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सैक्टर) के संबंध में केन्द्र सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार किन-किन उद्योगों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है,

(ग) क्या सरकार कोर सैक्टर के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को उत्पाद शुल्क में छूट या रेलवे माल भाड़े में छूट या अन्य वित्तीय छूटें देने का विचार रखती है; और

(घ) कोर सैक्टर उद्योगों में कार्यरत श्रमकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार, तीव्र औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए उचित माहौल बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं खासतौर पर ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई के क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा । बिजली, परिवहन और संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिन्हें उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार अधिक परिव्यय मिलना चाहिए, के लिए संसाधनों की कमी को इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश से पूरा करने की अपेक्षा की गई है । इन उपायों से जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति में घोषित उपायों में मदद मिलेगी। इस आशय को पूरा करने के लिए सरकार इन क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी तथा विदेशी दोनों स्रोतों से निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश सक्रियता से आमंत्रित कर रही है ।